



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 2010/पौष 10, 1932

No. 349]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 2010/PAUSA 10, 1932

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2010

सं. एल-1/44/2010-के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों तथा हानियों की हिस्सेदारी) विनियम, 2010 को तारीख 16-6-2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग III, खण्ड 4, सं. 162) में अधिसूचित किया गया था तथा उक्त विनियम, 1-1-2011 से प्रवृत्त हैं।

उक्त विनियमों को 1-1-2011 से प्रवृत्त करने में कुछ कठिनाईयां उद्भूत हो गई हैं क्योंकि उक्त विनियमों के अधीन अपेक्षित कतिपय प्रक्रियाओं तथा तंत्रों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है तथा वे तदुपरांत प्रवृत्त किए जाएंगे।

आयोग, विनियमों के विनियम 21(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों तथा हानियों की हिस्सेदारी) विनियम, 2010 की प्रवृत्त होने वाली तारीख 1-1-2011 को 1-4-2011 के रूप में अधिसूचित करता है।

अतः, अब, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित करने के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों तथा हानियों की हिस्सेदारी) विनियम, 2010, 1-4-2011 से प्रवृत्त होंगे।

पंकज बत्रा, प्रमुख (इंजी.)

[विज्ञापन III/4/अस./150/10]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY
COMMISSION
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2010

No. L-1/44/2010-CERC.—Whereas Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2010 was notified on 16-6-2010 in the Gazette of India, Extraordinary (Part III, Section 4, No. 162) and the said regulations are to come into force with effect from 1-1-2011.

Whereas difficulties have arisen to give effect to the said regulations with effect from 1-1-2011 since certain procedures and mechanisms required under the said regulations have not yet been finalized and put in place.

Whereas, the Commission in exercise of the powers under Regulation 21(3) of the regulations has notified the date of coming into force of the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2010 as 1-4-2011 in place of 1-1-2011.

And now, therefore, it is notified for the information of all concerned that Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2010 shall come into force with effect from 1-4-2011.

PANKAJ BATRA, Chief (Engg.)

[ADVT III/4/Exty./150/10]